निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मोखमपुरा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :— 55/2017 दावा
दायरा दिनांक :— 27.04.2017
निर्णय दिनांक :— 26.05.2017

उनवान

1. कल्याणी पुत्री नाथू जाति बैरवा
2. गेंदीबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा
3. कैलाशबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा
4. गंग्याबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा निवासी गण मौखमपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :— 26.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि ख0नं0 674/519 रकबा 10 बीघा, मौजा मौखमपुरा में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादीगण के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 06.06.2013 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 06.06.2013 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलव किया गया। वादी गण ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मौखमपुरा संवत 2067—70 खाता संख्या 95 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मौखमपुरा पर उपस्थित हुए वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन मे[illegible] तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी [illegible] सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

तय किया गयी तिथि बाद [illegible] नियत की जाती है।

Scanned by CamScanner

विवाद उत्पन्न नहीहो सके। वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी की पैमाईश करवाने का निवेदन किया है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मौखमपुरा संवत 2067–70 खाता संख्या 95 के ख0न0 674/519 रकबा 10 बीघा, वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज हैं। वादीगण अपने खाते एवे कब्जे काश्त की आराजी की पैमाईश कराकर पत्थर गढी करवाना चाहते हैं जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी की पैमाईश कराकर पत्थर गढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वा केम्प मौखमपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मौखमपुरा के ख0नं 674/519 रकबा 10 बीघा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दि जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 55/2017	धारा अन्तर्गत 89, RTA	निर्णय दिनांक : 26.05.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी:– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी:–	

वाद शीर्षक

उनवान

1. कल्याणी पुत्री नाथू जाति बैरवा
2. गेंदीबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा
3. कैलाशबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा
4. मंग्याबाई पुत्री नाथू जाति बैरवा निवासी गण मौखमपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प मौखमपुरा पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम मौखमपुरा के ख0नं0 674/519 रकबा 10 बीघा, का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए। उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 26.5.'17 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner